

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 797 / 2014

संस्थित दि: 02 / 09 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

सिद्धु उर्फ गोलू पिता शिवराम नागरे, उम्र 24 साल, जाति कलार,
निवासी वार्ड नं. 06 बीजाटोला थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

—:: उपापण — आदेश ::—

(आज दिनांक 16 / 09 / 2014 को उपापित किया गया)

(01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उपापण पर विचार किया जा रहा है ।

(02) प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।

(03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सनतलाल ने दिनांक 12.07.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 12.07.2014 को 09:00 से 10:00 बजे के बीच मोटरसाइकिल से बीजाटोला चौक तरफ से वापस घर जा रहा था कि उसने कुछ काम से सुमनवट्टी के घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर फेंगन नागरे से बातचीत कर रहा था कि सिद्धु नागरे अचानक आया और माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालियाँ देने लगा और जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट करने लगा। मारपीट करने से उसे बांये पैर, बांये हाथ, गर्दन पर चोट आई व सिद्धु नागरे ने मोटरसाइकिल के मास्क, इन्डीकेटर को तोड़ दिया था फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 99/14 अन्तर्गत धारा 294, 323, 506, 427 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 506, 427 एवं धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

(04) उपापण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा

294, 323, 506, 427 एवं धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से धारा 3(1)10 एस.सी./एस.टी.एक्ट माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय उपार्पित किया जाता है।

(06) आरोपी को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे।

(08) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

(09) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नायब नाजिर, बैहर की अभिरक्षा में होने से उक्त सम्पत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी नियत तिथि के पूर्व प्रस्तुत करने हेतु नायब नाजिर, बैहर को निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट